

वाहन किराये पर लेने हेतु कोटेशन नोटिस 2542

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा 01 इनोवा टैक्सी वाहन किराये पर लेना है, जिसके लिए प्रदायकर्ताओं को सूचित किया जाता है, कि 01 इनोवा टैक्सी वाहन किराये पर देने हेतु अपनी दरे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय निगम मुख्यालय पर्यटन भवन भदभदा रोड़ भोपाल में दिनांक 22/05/2018 तक अपराह्न 03:00 बजे तक प्रस्तुत करे। इसके बाद प्राप्त कुटेशन दरों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा डाक में देरी की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी। प्राप्त कुटेशन उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे उपस्थित पार्टियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निगम मुख्यालय में खोले जावेंगे।

कुटेशन प्रपत्र एवं शर्ते निगम की वेबसाईड www.mpstdc.com से अथवा निगम मुख्यालय के यांत्रिकी शाखा से दिनांक 21/05/2018 शाम 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यपालन यंत्री

कुटेशन प्रपत्र एवं शर्ते
(वाहन किराये पर लेने हेतु)

1.	पार्टी का नाम एवं पूरा पता फोन न.	
2.	आयकर पेन न.	
3.	जी.एस.टी. टेक्सए न.	
4.	फर्म अगर पंजीकृत है तब पूर्ण विवरण	
5.	अनुभव	
6.	किराये पर दिये जाने वाले वाहन का पूर्ण विवरण	
a.	वाहन किस कंपनी का है	
b.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	
c.	वाहन क्रय करने की तिथि	
d.	वाहन की वर्तमान रीडिंग	
e.	वाहन किस नाम से पंजीकृत है उसका पूर्ण विवरण (छायाप्रति संलग्नक करे)	
7.	वाहन का किराया प्रतिमाह रूपये (सभी करो सहित)	
8.	अन्य. विवरण जो देना चाहे	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सत्यक है एवं निगम द्वारा जारी की गई सभी शर्ते मुझे मान्यभ है।

भवदीय

पार्टी का नाम

वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तें

1. किराये पर दिया जाने वाला वाहन वर्ष 2016 -17 से पुराना क्रय किया हुआ न हो तथा टेक्सिर कोटे से रजिस्टर्ड होना चाहिये। वाहन किसी प्रकार से दुर्घटना ग्रस्तर नहीं होना चाहिये।
2. पावर स्टीरिंग युक्त वातानुकूलित इनोवा वाहन की आवश्यकता है।
3. 01 नग वाहन किराये पर लेने की संभावना है तथा वाहन 02 वर्ष की समयावधि हेतु लिये जावेंगे।
4. वाहन का चालन निगम द्वारा नियुक्ते वाहन चालक द्वारा किया जावेगा।
5. वाहन में आइल/डीजल/कुलेन्टभ निगम द्वारा दिया जावेगा।
6. वाहन की मरम्मत/टायर,ट्यूब बदलने का कार्य अन्य। आवश्यक सुधार कार्य वाहन प्रदायकर्ता द्वारा कराया जावेगा।
7. वाहन किराये अवधि तक निगम अधिकारी के पास ही रहेगा। अनुबंध अवधि समाप्तक होने पर दोनो पक्षों की सहमति से पुनः अनुबंध अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
8. वाहन का किराया संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 05 तारीख तक किया जावेगा तथा नियमानुसार करो की कटौती की जावेगी।
9. वाहन का बीमा , रोड टेक्सत एवं वाहन से संबंधित अन्यज टेक्सोंक का भुगतान प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।
10. धरोहर धनराशि रु. 2000/- म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के नाम देय एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी। न्यूनतम कोटेशन पर वाहन प्रदाय न करने पर जमा राशि राजसत कर ली जावेगी तथा जिन के दर मान्यम नहीं होंगे , उन्हें उनकी जमा राशि वापिस कर दी जावेगी।